

मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

आदेश

भोपाल, दिनांक 04/12/2017

क्रमांक-एफ-1-20/2017/स्था-19: राज्य शासन एतद् द्वारा म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर, म.प्र.की अनुशंसा अनुसार निम्न लिखित चयनित अभ्यर्थीगण को म.प्र.लोक निर्माण अभियांत्रिकी सेवा (राजपत्रित वर्ग-2 कार्यपालिक) में सहायक यंत्री (सिविल) के पद पर वेतनमान पी.बी.-3 15600-39100+ग्रेड पे 5400(छठवां वेतनमान) एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित भत्तों पर, अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, दो वर्ष की परिबीक्षा अवधि पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करते हुए उन्हें उनके नाम के सम्मुख कालम नं. 3 में अंकित स्थान पर पदस्थ करता है:-

क्र.	नाम	पदस्थापना स्थान
1	2	3
1	शशांक नामदेव	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
2	राहुल गुप्ता	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
3	सुमित पाटीदार	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
4	ईशान निगम	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
5	सजल उपाध्याय	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
6	गौरव त्रिपाठी	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
7	वाशु मित्तल	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
8	सुश्री हर्षिता वाष्ण्य	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
9	जसवीर जसवीर	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
10	दीपक कुमार	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
11	रौरभ गेहलोद	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
12	अर्नव कुमार गुहा	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
13	सोमेश श्रीवास्तव	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
14	सुश्री स्तुति गौतम	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
15	संदीप बेनीवाल	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
16	जोगिंदर सिंह यादव	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
17	इंद्रदेव पटेल	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल

301
upload
05/12/17


क्र.	नाम	पदस्थापना स्थान
18	सुश्री गुरणीतकौर भाटिया	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
19	सुश्री तनुश्री नेमा	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
20	सुश्री पूनम तुरकर	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
21	अभिनव सिंह परिहार	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
22	रिकू चौहान	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
23	सुश्री नेहा राठौर	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
24	सुश्री तेजस्वनी शुक्ला	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
25	सुश्री अपर्णा त्रिपाठी	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
26	विजय चौहान	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
27	सुश्री नीतू पटेल	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
28	राहुल चौहान	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
29	अमित भूरिया	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
30	विनोद बरकाने	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
31	पुष्कल प्रताप	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
32	शुभम मोर्य	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
33	सुश्री मेघा शिवहरे	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
34	सुश्री अल्पना अहिरवार	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
35	सुश्री साधना सिंह	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
36	भूपेन्द्र सिंह लोधी	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
37	आलोक मंडलोई	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
38	सुश्री आशा कनौजे	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
39	सुश्री दिव्यासिंह डोडवे	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल
40	सुश्री रेशम गमड	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोनि, निर्माण भवन, भोपाल

- (1) चयनित अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनका नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- (2) मध्यप्रदेश शासकीय सेवक(अस्थायी/अर्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाये किसी भी समय, किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते आदि का

भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन तथा भत्तों के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

- (3) चयनित प्रत्यागी के जाति प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय प्रतिकूल स्थिति ज्ञात होने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- (4) नवनियुक्त ~~यंत्रणी~~ ^{यंत्रणी} यदि पूर्व में शासकीय, अर्धशासकीय सेवा में कार्यरत है तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच एवं अमांग प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।
- (5) नवनियुक्त सहायक यंत्रणीगण की पारस्परिक वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा किये गये चयन के क्रम में निर्धारित होगी।
- (6) यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी। (साप्रवि ज्ञाप क्र. एफ सी 3-15/2012/1/3 दिनांक 24.11.2012)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये निर्धारित आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बी.विजय दत्ता)
उप सचिव

म.प्र.शासन, लोक निर्माण विभाग

भोपाल, दिनांक 04/12/2017

पृष्ठांकन क्रमांक-एफ-1-20/2017/स्था-19

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेन्सी ऐरिया, डेली कालेज रोड, इन्दौर की ओर उनके ज्ञाप क्रमांक 262/26/2017/चयन दिनांक 9.10.2017 के संदर्भ में।
2. विशेष सहायक, मा. मंत्री, लोक निर्माण विभाग, म.प्र.भोपाल
3. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल
4. स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, भोपाल

5. प्रबंध संचालक, म.प्र. रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन, भोपाल
 6. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण मध्य प्रदेश, भोपाल.
कृपया नव नियुक्त सहायके यंत्रीगण के प्रशिक्षण के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित करें।
 7. परियोजना संचालक, पीआईयू, लोक निर्माण, म.प्र. निर्माण भवन, भोपाल
 8. प्रभारी, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ मंत्रालय, भोपाल
 9. संबंधित श्री
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


रूप सचिव